



action:aid

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण
कर्मकार बोर्ड (श्रम विभाग) के
**पंजीकृत श्रमिकों के लिये चलाई
जा रही विभिन्न लाभकारी योजनायें**



VIGYAN FOUNDATION

*Happy
New
Year*

2 0 1 7



अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री
उपरोक्त सरकार



शाहिद मंजूर
मंत्री, श्रम एवं
सेवायोजन विभाग, उपरोक्त


शुभकामना संदेश

निर्माण कार्यों से जुड़े निर्माण मज़दूर भारत के विकास एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्रमिकों की भलाई व उत्थान के लिये सरकारें समय—समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रही हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं आदि का प्राविधान है। मातृ मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी जहाँ प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने को अग्रसर हैं वहाँ प्रदेश में रहने वालों के चहुमुखी विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के हित लाभ के लिए अथक प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) द्वारा 17 प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रहा हैं,

लाखों—लाखों पंजीकृत श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले चुके हैं पर अभी भी बहुत से श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं, श्रमिकों को चलने वाली योजनाओं की जानकारी का न होना भी इसका कारण है। यदि सभी मजदूरों की योजनाओं व मिलने वाले लाभों की जानकारी हो जाये तो सभी श्रमिकों के जीवन में बदलाव आ जायेगा।

मैं विज्ञान फाउन्डेशन, एक्शनएड एसोसियेशन व यूरोपियन यूनियन की टीम को उनके द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के जरिए तमाम महिला व पुरुष श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो सकेगी और वह उसका समुचित लाभ उठा सकेंगे।

मैं इस पुस्तक के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएं देता हूँ।



श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र०

विद्यावती राजभर

राज्य मंत्री

अध्यक्ष-समान पारिश्रमिक

श्रम सलाहकार समिति ३०प्र०



शुभकामना संदेश

निर्माण कार्यों से जुड़े निर्माण मज़दूर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्रमिकों की भलाई व उत्थान के लिये सरकार समय—समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रही है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के हित लाभ के लिए अथक प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) 17 प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रहा हैं, लाखों पंजीकृत श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले चुके हैं पर अभी भी बहुत से श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं, जिसका एक कारण मज़दूरों को श्रम योजनाओं के प्रति जानकारी का न होना भी है। यदि सभी मज़दूरों को योजनाओं

व मिलने वाले लाभों की जानकारी हो जाये तो सभी श्रमिकों के जीवन में बदलाव ज़रुर आयेगा ।

मैं विज्ञान फाउन्डेशन, एकशनएड एसोसियेशन व यूरोपियन यूनियन की टीम को उनके द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों से जुड़ी योजनाओं को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने की शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि इस पुस्तक के जरिए निर्माण श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो सकेगी और वह उसका समुचित लाभ उठा सकेंगे ।

मैं इस पुस्तक के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएं देती हूँ ।

विद्यावती

(विद्यावती राजभर)

अध्यक्ष—समान पारिश्रमिक
श्रम सलाहकार समिति उ०प्र०

1- शिशु हितलाभ योजना (पंजीकृत श्रमिकों के नवजात बच्चों को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूरा होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था)

कौन लाभ ले सकता है : सभी पंजीकृत महिला एवं पुरुष (लाभ केवल दो बच्चों तक ही मिलेगा)

हितलाभ- वर्ष में एक बार एक मुश्त (लड़का होने पर 12,000/- तथा लड़की होने पर 15000 प्रति शिशु की दर से) दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

2- मातृत्व हितलाभ योजना (पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के बाद पौष्टिक आहार की व्यवस्था)

कौन लाभ ले सकता है- सभी पंजीकृत महिला या पुरुष कर्मकार की पत्नी। लाभ अधिकतम दो प्रसव तक ही मिलेगा।

हितलाभ - 1). ₹0 12000/- दो किस्तों में पंजीकृत महिला कर्मकार को और ₹0 6000/- दो किस्तों में पुरुष कर्मकार की पत्नी को

2) प्रथम किस्त प्रसव के बाद तथा द्वितीय किश्त बी0 सी0 जी0 का टीका लग जाने पर ।

3- पुत्री विवाह अनुदान योजना (पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना)

कौन लाभ ले सकता है 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरुष) 2. श्रमिक का न्यूनतम 5 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण हो रहा हो ।

हितलाभ - 1) हितलाभ – 1) रु0 55,000 / एक पुत्री को मिलेगा परन्तु यदि दो बच्चों में दोनों पुत्रियां हैं तो दोनों पुत्रियों को लाभ मिलेगा । और अगर अन्तर्जातिय विवाह होता है तो 61000 / तथा लड़की विकलांग है तो 61,000 रु0 मिलेगा ।

2) अगर माता पिता दोनों ही निर्माण श्रमिक हैं तो किसी एक को ही यह सुविधा अनुमन्य होगी । यदि श्रमिक को अपनी सन्तान न होने के कारण किसी अन्य को कानूनन गोद लिया हो तो केवल एक कन्या तक ही लाभ मिलेगा ।

4- बालिका मदद योजना (पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों की आर्थिक मदद कर आत्म निर्भर बनाना।)

कौन लाभ ले सकता है- 1. सभी पंजीकृत महिला / पुरुष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 01 वर्ष से सदस्य हो।

2. परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा दूसरी को तभी मिलेगा जब दोनों सन्ताने बालिका ही हों। यदि प्रथम या द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकायें जन्मती हैं तो सभी को लाभ मिलेगा

3. कानूनी रूप से गोद ली हुयी बालिका को प्रथम बालिका मानते हुये लाभार्थी को लाभ मिलेगा

4. बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म—मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

5. 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले यदि पुत्री की मृत्यु हो जाती तो जमा किया गया पैसा बोर्ड को वापस हो जायेगा

हितलाभ- 1. ₹ 25,000/- एक मुश्त लाभ 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही मिलेगा।

2. भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।
3. परिवार के निकट किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 एक वर्ष के अन्दर ही जन्म पंजीकरण कराना होगा।
5- अक्षमता पेंशन योजना (पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थाई रूप से विकलांग हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता)

कौन लाभ ले सकता है- पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण या स्थाई रूप से (50 प्रतिशत से अधिक) विकलांग हो। यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक को ही मिलेगा।

हितलाभ- 1.रु0 1000/-प्रतिमाह बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक मिलेगा।

2. बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठरोग, कैंसर तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी, जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो।

6- दुर्घटना सहायता योजना (पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तुरन्त सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक या उसके अश्रितों को तत्कालिक अनुग्रहराशि प्रदान किया जाना ।)

कौन लाभ ले सकता है- सभी लाभार्थी कर्मकार या उसके आश्रितों (पति / पत्नी, 18 वर्ष से कम अविवाहित पुत्रियां व पुत्रों तथा निर्भर माता— पिता) को देय होगा ।

क—कार्य स्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्यु हो जाने पर ।

ख—पंजीकृत महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर ।

हितलाभ- 1. रु0 5,00,000/- एकमुश्त, पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को ही मिलेगा ।

2. रु0 3,00,000/- एकमुश्त कर्मकार की स्थाई पूर्ण अपंगता पर मिलेगा ।. 200,000/- एकमुश्त कर्मकार की स्थाई आंशिक अपंगता पर मिलेगा ।

7- मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता (पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार को सम्पन्न किये जाने हेतु तत्कालिक आर्थिक सहायता)

कौन लाभ ले सकता है 1. पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के परिवार वाले ।

2. यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं मिलेगी ।

हितलाभ : 1. ₹0 15,000/- अंतिम संस्कार के लिये ।

2. ₹0 1,00,000/- एकमुश्त तत्कालिक सहायता राशि के रूप में आश्रितों को दी जायेगी ।

8- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्य:- निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल (हुनर) सम्बन्धी ट्रेनिंग करवाना ।

कौन लाभ ले सकता है – पंजीकृत महिला या पुरुष तथा 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र व पुत्रियों को मिल सकेगा ।

हितलाभ – प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित

शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से सम्बद्धित अन्य लेखन सामग्री के खर्च का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेने पर प्रशिक्षण अवधि की मजदूरी भी मिलेगी जबकि आश्रित पुत्र / पुत्रियों को नहीं मिल सकेगी।

9- आवास सहायता योजना :

अधिकतर निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बी0 पी0 एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास का लाभ नहीं मिल पाता, जबकि वे पात्र होते हैं। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

कौन लाभ ले सकता है- 1 गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवा रहा हो।

2. परिवार एक इकाई के रूप में लिया जायेगा।
3. लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- 4 केन्द्र / प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में आवास हेतु

सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे ।

5. उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम अपनी भूमि उपलब्ध हो ।
6. कार्य स्थान / निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता दी जायेगी
7. श्रमिकों को इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा ।
8. पति / पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो योजना के लाभ में पत्नी को वरीयता दी जायेगी ।

हितलाभ- रु0 1,00,000/- की धनराशि 2 किश्तों में।
मरम्मत हेतु रु0 15,000/- की धनराशि मिलेगी। परन्तु एक ही लाभार्थी को दो लाभ एक साथ नहीं दिया जायेगा।

10- पेंशन योजना (पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गयी है और जिनका वार्षिक अंशदान जमा हो, उनको निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में दी जायेगी)

कौन लाभ ले सकता है - पंजीकृत श्रमिक 2-60 वर्ष की

आयु पूरा करना तथा कम से कम 5 वर्ष पंजीकृत प्रतिवर्ष अंशदान दिया जाना ।

हितलाभ- श्रमिक को प्रति माह 1000/- की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को द्वितीयतः उसके आश्रित माता/पिता को, यदि वह किसी योजना के अन्तर्गत यह धनराशि पेंशन के रूप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। हर वर्ष पंजीयन अधिकारी के पास जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11- सौर ऊर्जा सहायता योजना

उद्देश्य- पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार को प्रकाश की आवश्यकता पूर्ण करना जिससे उनके बच्चों को पढाई करने में सहायता मिल सके।

कौन लाभ ले सकता है- पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे। किसी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता

पिता, 21 वर्ष के कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री

हितलाभ- 1. सोलर लाइट/लालटेन (एल0 ई0 डी0/सीएफएल) मिलेगी एवं रख रखाव/ सर्विस चार्ज के लिये नेडा, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क होगा।

2. किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं होगा। पूरे जीवन में केवल एक बार ही लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हो तो भी ।

12- साइकिल सहायता योजना

उद्देश्य - पंजीकृत श्रमिकों को कार्यस्थल तक समय से पहुँचने तथा पैसे की बचत हेतु साइकिल की व्यवस्था।

कौन लाभ ले सकता है- 1. श्रमिक के रूप में कम से कम 6 माह से पंजीकृत हो ।

2 केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल का लाभ न लिया हो ।

हितलाभ - बोर्ड द्वारा साइकिल क्रय हेतु ₹ 3,000/- की धनराशि छूट के रूप में दी जायेगी , बाकी धनराशि श्रमिक द्वारा स्वयं दी जायेगी ।

13- गम्भीर बीमारी स्वायत्ता योजना

उद्देश्य - पंजीकृत कर्मकार को स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये खर्च का भुगतान।

कौन लाभ ले सकता है- सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अन्तर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, मरिट्स्क आपरेशन, रीढ़ की हड्डी आपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स की बीमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।

हितलाभ- लाभार्थी स्वयं पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत-प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2— लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (CGHS / ESI) द्वारा मान्यता

प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज के खर्च भुगतान सीधे अस्पताल को किया जायेगा।

14- मेधावी छात्र योजना (श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।)

कौन लाभ ले सकता है- ऐसा श्रमिक जो पंजीकृत तथा उनके पुत्र पुत्रियों ने कक्षा 5 से 8 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 9 से 12 तक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

हितलाभ-

- ❖ कक्षा 1 से 5 तक प्रतिमाह 100 रु0, कक्षा 6 से 7 तक प्राप्तांक 55 प्रतिशत पुत्रों को 4000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 4500 रु0 दो किस्तों में
- ❖ कक्षा 8, प्राप्तांक 55 प्रतिशत, पुत्रों को 4500 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 5500 रु0 दो किस्तों में
- ❖ कक्षा 9 व 10, प्राप्तांक 50 प्रतिशत, पुत्रों को 5000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 5500 रु0 दो किस्तों में

- ❖ कक्षा 10 व 11, प्राप्तांक 50 प्रतिशत, पुत्रों को 10000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 12000 रु0 दो किस्तों में
- ❖ बी0 ए0, बी कॉम, एम एस0 सी0 प्राप्तांक 60 प्रतिशत, पुत्रों को 12000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 13000 रु0 दो किस्तों में
- ❖ आई टी आई, प्राप्तांक 60 प्रतिशत पुत्रों को 8000रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 10000 रु0 दो किस्तों में
- ❖ पॉलिटेक्निक /— डिप्लोमा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर) पुत्रों को 5000 प्रतिवर्ष व पुत्रियों को 6000 प्रतिवर्ष
- ❖ इंजीनीयरिंग व चिकित्सा डिग्री राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर) पुत्रों को 10,000 प्रतिवर्ष तथा पुत्रियों को प्रथम वर्ष 10,000 व द्वितीय वर्ष 12000

15- आवासीय विद्यालय योजना :

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक

शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुये उन्हे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

- ❖ कौन लाभ ले सकता है— पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है वे आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।
- ❖ **हितलाभ** – पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है वे आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

16- माध्यान्ह भोजन सहायता योजना:

श्रमिकों को उनके कार्य स्थल के आस पास एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिससे उनके स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके

- ❖ कौन लाभ ले सकता है — पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे
- ❖ **हितलाभ**— पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को निर्धारित

मूल्य 10 रुपये अथवा समय—समय पर संसोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रूप में लिया जायेगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त रुपये 10/- से अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को दी जायेगी।

- **पंजीकरण कौन व्यक्ति करवा सकता है और उसका तरीका**
 - ❖ ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और उन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 महीनों में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो।
 - ❖ श्रम विभाग जिला स्तरीय कार्यालय से निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
 - ❖ पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो आयु प्रमाण पत्र तथा 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र वहीं मनरेगा श्रमिकों के लिये 50 दिनों) तक कार्य करने का प्रमाण— पत्र सहित 50 रुपये पंजीकरण शुल्क व 50

रुपये एक वर्ष का अंशदान जमा करके पंजीकरण संख्या सहित श्रमिक पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

- ❖ निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष 50 रुपये का अंशदान जमाकर विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंजीकरण की निरन्तरता रखनी होगी।

इन योजनाओं के साथ कानपुर सहित 13 जनपदों में पंजीकृत श्रमिकों को ३० प्र० भवन निर्माण बोर्ड के तहत सस्ता राशन दिया जायेगा जिसमें 10 किलो चावल, 3 किलो दाल एवं 2 किलो चीनी उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशन मजदूरों को 10 प्रतिशत दाम पर मिलेगा। ९० प्रतिशत दाम का भुगतान ३० प्र० भवन निर्माण बोर्ड करेगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों की श्रेणी

1. वेल्डिंग का कार्य
- 2.बढ़ई का कार्य
- 3.कुँआ खोदना
- 4.रोलर चलाना
- 5.छप्पर डलने का कार्य
- 6.राजमिस्त्री का कार्य
- 7.प्लम्बरिंग
- 8.लोहार
- 9.मोजैक पॉलिश
- 10.सड़क बनाना
- 11.मिक्सर चलाने का कार्य
- 12.पुताई
- 13.इलैक्ट्रिक वर्क
- 14.हथौडा चलाने का कार्य
- 15.सुरंग निर्माण
- 16.टाईल्स लगाने का कार्य
- 17.कुएं से गाद (तलछट) हटाने का कार्य / डिविंग
- 18.चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म
- 19.स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से समबद्ध)
- 20.मार्बल एवं स्टोन वर्क
- 21.चौकीदार निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिये
- 22.चूना बनाना
- 23.मिट्टी का काम
- 24.सीमेंट कंक्रीट आदि ढोने का काम
- 25.लिफ्ट / स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य
- 26.सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य
- 27.मिट्टी बालू व खनन का कार्य
- 28.ईंट भट्ठों पर ईंट निर्माण का कार्य
- 29.सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
- 30.रसोई में उपयोग हेतु मॉड्यूलर इकाइयों की

स्थापना 31 खिडकी ग्रिल, दरवाजे आदि की गढाई एवं स्थापना कार्य 32 मकानों भवनों की आंतिरक सज्जा कार्य 33. बड़े यांत्रिक कार्य जैसे— मशीनरी पुल निर्माण कार्य आदि 34 अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत कार्य 35. ठण्डा एवं गरम मशीनरी की स्थापना एवं मरम्मत कार्य 36 बाढ़ प्रबन्ध व इसी प्रकार के अन्य से सम्बंधित सभी कार्य 37. बाँध पुल सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रीया 38. स्वीमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि / सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य 39 लिपिकीय / लेखा—कर्म (किसी निमार्ण अधीष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकारके लिये) 40 सभी प्रकार के पथर काटने, तोड़ने व पीसने के कार्य ।

अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री न0 18001805412
पर सम्पर्क करें ।

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

के अधिकारियों की सूची

क्र0.	नाम	पद	मो0 न0
❖	अलीगढ़		
1	जबीं आयशा	उप श्रमायुक्त	7055316000
2	सुनील कुमार	सहायक श्रमायुक्त	9457027944
3	आर एस राठौर	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9415937782
❖	आगरा		
4	पी0 के0 सिंह	उप श्रमायुक्त	9412202182
5	शेर सिंह	सहायक श्रमायुक्त	9997188860
6	बाल गोविन्द सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9411297686
❖	आजमगढ़		
7	अनुपमा गौतम	उप श्रमायुक्त मण्डल	9412652880
8	जय शंकर प्रसाद	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9839061095
❖	इलाहाबाद		
9	अनिल कुमार सिंह	उप श्रमायुक्त मण्डल	9456247578
10	श्यामनारायण यादव	सहायक श्रमायुक्त	9838969596
11	चन्द्र प्रकाश	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	945030080
❖	कानपुर		
12	राजेश मिश्रा	उप श्रमायुक्त मण्डल	9450207266
13	गोविन्द यादव	सहायक श्रमायुक्त	9760880281
14	ए0के0 वर्मा	श्रम प्रवर्तन	9454453378
❖	गाजियाबाद		
15	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	उप श्रमायुक्त मण्डल	9129511160
16	शिवशंकर पाण्डेय	सहायक श्रमायुक्त	8527280422

ਪੰਜੀਕੂਤ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

17	ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9412150003
❖	ਗੋਰਖਪੁਰ		
18	ਏਸ0 ਪੀ0 ਸ਼ੁਕਲਾ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9453043030
19	ਸਿਧਾਰਾਮ	ਸਹਾਯਕ ਅਸਾਧੂਕਤ	8565048315
20	ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਹ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9450880369
❖	ਗੈਂਤਮ ਬੁਢ੍ਹ ਨਗਰ		
21	ਵੀ0 ਕੋ0 ਰਾਧ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9412720930
22	ਹਰਿਝਚਨਦ੍ਰ ਸਿੱਹ	ਸਹਾਯਕ ਅਸਾਧੂਕਤ	9450317204
23	ਮਨੋਜ ਰਾਧ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9717721678
❖	ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ		
24	ਆਰ0ਬੀ0 ਲਾਲ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9453825888
25	ਰਾਮਕਿਸ਼ੁਨ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9450747257
❖	ਝਾਂਸੀ		
26	ਵਿਨੋਦ ਮਿਥਾ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9450347582
27	ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਹ	ਸਹਾਯਕ ਅਸਾਧੂਕਤ	9837414058
28	ਮਨੋਜ ਰਾਜਪੂਤ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9450983522
❖	ਦੇਵੀਪਾਟਨ		
30	ਸ਼ਮੀਮ ਅੜਕਤਰ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9411814011
31	ਅਟਲ ਕੁਮਾਰ	ਸਹਾਯਕ ਅਸਾਧੂਕਤ	9918822297
32	ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9455552886
❖	ਫੌਜਾਬਾਦ		
33	ਡੀ0 ਏਸ0 ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9415056130
34	ਰਚਨਾ ਕੇਸਰਵਾਨੀ	ਸਹਾਯਕ ਅਸਾਧੂਕਤ	9415190640
35	ਸਤਂਤੋ਷ ਕੁਮਾਰ	ਅਮ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀ	9452451441
❖	ਬਰੇਲੀ		
36	ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ	ਉਪ ਅਸਾਧੂਕਤ ਮਣਡਲ	9412705556

पंजीकृत श्रमिकों के लिये लाभकारी योजनाएं

37	आर0के0 श्रीवास्तव	सहायक श्रमायुक्त	7275312541
38	अनवार अहमद	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9412843538
❖ बस्ती			
39	आर0पी0 शुक्ला	उप श्रमायुक्त मण्डल	9452522492
40	गौतम गिरि	सहायक श्रमायुक्त	9450823223
41	मान सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9450487960
❖ मेरठ			
42	सरजूराम	उप श्रमायुक्त मण्डल	9451460000
43	प्रभाकर मिश्रा	सहायक श्रमायुक्त	9450615163
44	रुपाली	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9415606470
❖ मुरादाबाद			
45	एम0एल0 चौधरी	उप श्रमायुक्त मण्डल	9161196551
46	प्रतिभा तिवारी	सहायक श्रमायुक्त	9810665692
47	बी0पी0 सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9540095048
❖ मिर्जापुर			
48	राकेश द्विवेदी	उप श्रमायुक्त मण्डल	7897188181
49	कमलाप्रसाद जायसवाल	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9125537555
❖ वाराणसी			
50	राकेश कुमार	उप श्रमायुक्त मण्डल	9457481345
51	भुवनेश्वर नाथ दुबे	सहायक श्रमायुक्त	9918303399
52	रामअवतार शर्मा	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9450133804
❖ सहरनपुर			
53	मधुर सिंह	उप श्रमायुक्त मण्डल	9415303366
54	ब्रजमोहन शर्मा	सहायक श्रमायुक्त	9818141200
55	के0पी0 सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	9412392622

पंजीकृत श्रमिकों के लिये लाभकारी योजनाएं

पंजीकृत श्रमिकों के लिये लाभकारी योजनाएं

JAN 2017

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEB 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

MAR 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

APR 2017

S	M	T	W	T	F	S
30			1			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

MAY 2017

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

JUN 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

JUL 2017

S	M	T	W	T	F	S
30	31		1			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

AUG 2017

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SEP 2017

S	M	T	W	T	F	S
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

OCT 2017

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOV 2017

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

DEC 2017

S	M	T	W	T	F	S
31			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

विज्ञान फाउण्डेशन एक सामाजिक व चैरिटेबल संस्था है जो पिछले कई वर्षों से लखनऊ व आस पास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वंचित समुदाय के लोगों के मूल-भूत अधिकारों के लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ संघर्षरत् है। संस्था शिक्षा, जेण्डर व बुनियादी सुविधाओं के मुददों पर भी काम करती है। विज्ञान फाउण्डेशन लोगों की ज़रूरतों के लिए एक रचनात्मक और सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। विज्ञान फाउण्डेशन का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1988 में हुआ। हमारा उद्देश्य लोगों की गरिमा के एहसास को मज़बूत बनाना और समुदाय आधारित संगठनों के निर्माण के माध्यम से लोगों की बुनियादी अधिकारों की लड़ाई मज़बूत करना है। हमारा सपना शोषण से मुक्त समाज की स्थापना करना है।

विज्ञान का विश्वास है कि लोगों के जीवन के स्तर में व्यापक बदलाव तभी संभव है जब परिवर्तन की बागड़ोर लोगों के अपने हाथ में हो। इस नज़रिए के साथ विज्ञान टीम शहरी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में रहने वाले मेहनतकश व आश्रयहीन समुदाय के साथ उनके सुरक्षित आवास व आजीविका के मुददे पर काम करती है। हमारा लक्ष्य समूह महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं। हमारा उद्देश्य अलग अलग व्यवसायिक समूहों का संगठन निर्मित करके उन्हें एक व्यापक मोर्चे से जोड़ना है। हमारा यक़ीन है कि लोगों की अगुवाई में संगठन के रास्ते ही मुददों पर सार्थक संघर्ष किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा कार्यवाही के प्रमुख मुददे हैं।

विज्ञान फाउण्डेशन

डी-3191, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

E-mail : vigyanfoundation@gmail.com, vigyanfoundation@yahoo.com

Website : www.vigyanfoundation.org